संख्या - 1/2017/ 16/अड्तीस-5-17-5 बजट/2016(I)टी0सी0

प्रेषक,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बांदा।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 04 जनवरी, 2017

विषयः बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था मद के अन्तर्गत उ0प्र0 जल निगम द्वारा संचालित / अनुरक्षित जनपद-बांदा की भभुवा ग्राम समूह पेयजल योजना के पुनर्गठन/ जीर्णोद्धार की परियोजना की वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृति एवं धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या -186/2042-0072/16 दिनांक 06-05-2016, पत्र संख्या-378/2042-0072/16 दिनांक 30-09-2016 एवं पत्र संख्या-463/ 2042-0072/16 दिनांक 28-11-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था मद के अन्तर्गत उ0प्र0 जल निगम द्वारा संचालित / अनुरक्षित **जनपद-बांदा की भभुवा ग्राम समूह पेयजल योजना के पुनर्गठन/ जीर्णोद्धार** की रू0 2441.33 लाख अनुमानित लागत के परियोजना प्रस्ताव का पी0एफ0ए0डी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त लागत रू0 2337.79 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेवर सेस की धनराशि सम्मिलित है) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए इसके सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में " बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था" के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 में प्राविधानित धनराशि में से प्रथम किश्त के रूप में 40 प्रतिशत अर्थात रू0 935.116 लाख (रूपये नौ करोड. पैतीस लाख ग्यारह हजार छः सौ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उपर्युक्त स्वीकृति के अनुसार जनपद-बांदा की भभुवा ग्राम समूह पेयजल योजना के पुनर्गठन/ जीर्णोद्धार की परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 जल निगम को रू0 935.116 लाख की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। उपर्युक्तानुसार स्वीकृत परियोजना पर निर्माण कार्य /व्यय शासन द्वारा यथासंशोधित / स्वीकृत आगणन लागत रू0 2337.79 लाख (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार ही किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृति धनराशि तक सीमित रखा जायेगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना / योजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
3. स्वीकृत योजनान्तर्गत जीर्णोद्धार के कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण उपरान्त वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय -12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार जीर्णोद्धार से सम्बन्धित कार्यो के विस्तृत डिजाइन / ड्राइंग बनाकर आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम सतर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न (significantly different) एवं स्वीकृत लागत में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होती है तो कार्य की वास्तविक / पुनरीक्षित लागत को 03 माह के अन्दर शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्तर के विवरण इत्यादि सहित ग्राम्य विकास विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
4. निर्माण कार्यो को निर्धारित विशिष्टियों / मानको के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जायेगा। अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना, नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार में वृद्धि इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5. प्रश्नगत कार्यो के लिए नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

shramsadhan.up.nic.in

6. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैंक/ डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
7. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणात्मक कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए उ0प्र0 जल निगम से प्रभावी समन्वय किया जायेगा।
8. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री / उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा। परियोजनान्तर्गत पम्पिंग प्लांट एवं अन्य सम्बन्धित उपकरणों का क्रय न्यूनतम कोटेशन एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षण कर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।
9. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय / प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व उ0प्र0 जल निगम का होगा और उनके द्वारा तदनुसार ग्राम्य विकास विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी। अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्राम्य विकास विभाग को यथाशीघ्र उपलबध कराया जायेगा।
10. स्वीकृत परियोजना / कार्य में द्विरावृति से बचने के लिए कार्य के प्रारम्भ एवं कार्य की समाप्ति पर वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी।
11. नियमानुसार यथावश्यक समस्त वैधानिक अनापत्तियों / पर्यावरणीय क्लीयरेन्स भी सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। परियोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यथावश्यकता मानचित्रों को कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण / सक्षम स्थानीय प्राधिकारी से स्वीकृत कराया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्य–13 के लेखाशीर्षक 4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूजीगत परिव्यय -आयोजनागत-01-जलपूर्ति-102- ग्रामीण जलपूर्ति -03 बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था- 42- अन्य व्यय नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231 / 2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन एवं वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव।

संख्याः 1/2017/16(1)/अड्तीस-5-17, तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उततर प्रदेश ।
3. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मण्डलायुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
6. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनउ ।
8. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0।
9. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, इलाहाबाद।
10. मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी , बांदा।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव।

shasanadesh.up.nic.in